

to prove to be the best not in India alone, but all over the world.

Australia, as I have already stated, is known to have succeeded in evolving sugarcane varieties having the highest sucrose content in the world, but the per acre yield in Australia is 25 to 30 tons. The variety to which I am referring is giving very high yields, as high as 80 to 90 tons per acre. Only last year, in my own farm I had planted this variety on a plot of six acres. I have got 92 tons per acre average yield. Hundreds of farmers are getting even more. Only yesterday I received a journal which is conducted by Dr. D. R. Gadgil, and in that a statement appears that four agriculturists who had planted this variety of Co. 740, got yields as follows:

Shri E. M. Bhogale, Molar, Bara-mati Taluk, Poona Dt. per acre yield 238 tons.

Shri Shinkre (Marmagao): Maunds or tons?

Shri Shinde: Tons. Nowhere in the world has it happened. That is why I am praising all the valuable work that is being done by our scientists.

Shri Shinkre: Then, the Food Ministry should adopt it immediately.

Shri Swaran Singh: The farmers are adopting it.

Shri Shinde: It depends on environmental factors also.

The others are:

Shri S. V. Rauth, Malinagar, Malasiras Taluk, Sholapur Dt. Per acre yield 133 tons

Shri K. L. Shinde (not myself), Rahata, Kopergaon Taluk, Ahmednagar Dist. Per acre yield 131 tons.

Shri V. D. Dhopate, Kahale, Bara-mati Taluk, Poona Dt. Per acre yield 134 tons.

This will show what a wonderful job is being done by our scientists, and they really deserve to be congratulated by this House, and I feel that hon. Members will share my sentiments in this respect.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): Can you give an idea about the sugar content?

Shri Shinde: The recovery is anywhere between 12 and 13 per cent, but the actual total sugar in cane may come to about 15 to 16 per cent. It is higher than the Pravara variety, and the per acre yields are far higher than Hawaii. But the main problem of sugarcane and other research activities in India is how to carry successfully the results of research to the farm on a large scale. The Ford Foundation Team has expressed the view and pointed out that India's agricultural research knowledge is already adequate to permit a very large expansion in production and productivity per acre. The basic problem is to extend the known and tested practices to cultivators and ensure their adoption.

With these few remarks, I thank the Chair for giving me an opportunity to express myself.

Mr. Deputy-Speaker: Before I call the next Member, Shri Hathi will give some information to the House.

17.36 hrs.

STATEMENT RE: REFERENCE OF
MATTER BY PRESIDENT TO
SUPREME COURT UNDER
ARTICLE 143 OF CONSTI-
TUTION

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, I am sorry to take the time of the House, but I thought that it would be better if I show that courtesy to the House and inform the House that the President has been pleased to make

[Shri Hathi.]

a reference to the Supreme Court under article 143 of the Constitution in regard to the conflict of powers and jurisdiction between the Uttar Pradesh State Legislature and the High Court of Uttar Pradesh which has recently occurred. I thought I might give that information to the House.

—
DEMANDS FOR GRANTS—contd.
MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE—
contd.

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री शिन्दे का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में अनेकों सफलताओं का दिग्दर्शन हमें कराया लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह सब आपकी सफलताएँ जो आपने हमें अभी बतलाई हैं कागजों में ही रहने वाली हैं क्योंकि किसानों तक वह पहुँच नहीं पाती हैं। यदि वह किसानों तक पहुँची होती तो आज यह जो गुड़ की तकलीफ है और शक्कर की तकलीफ है वह तकलीफ नहीं होने वाली थी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो हमारे मंत्रियों का अभ्यास हो गया है कि तरह तरह के आंकड़ों को दिखा कर इस मदन के लोगों को मन्तुष्ट करवा दो, उनके इस अभ्यास से नतीजा उल्टा होने वाला है। अब चाहे वह सरदार साहब हों, चाहे डा० राम सुभग सिंह हों अथवा टामस साहब हों, प्रश्न यह है कि यदि आप आंकड़ों में ही उलझते और दूसरों को उलझाते रहेंगे तो यह खाद्य समस्या कभी हल होने वाली नहीं है। यह जो आंकड़ों का जाल है वह इस खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खूब देखने को मिलता है लेकिन जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि किस प्रकार से हर एक प्रदेश की अवस्था चल रही है, कौन सा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और कौन सा प्रदेश पीछे है और उन प्रदेशों में कौन सा जिला आगे बढ़ रहा है और कौन सा जिला पीछे चल रहा है इसका कहीं जिक्र नहीं है। हालत यहां तक पहुँच चुकी है कि पैकेज प्रोग्राम जिन जिलों में चलाया जाता है वहां की जब

रिपोर्ट आती है, जब वह जांच करने के लिये गये और उस बारे में रिपोर्ट की है तो वह उसमें यह नहीं बतला पाये कि कहां काम ठीक चल रहा है और कहां ठीक नहीं चल रहा है, केवल यह लिखा है कि दो, तीन वर्ष में इसका कोई नतीजा निकल सकेगा इसकी कोई आशा नहीं करनी चाहिए। कम से कम वह यही बतलाते कि कितने वर्षों में उसका नतीजा निकलेगा लेकिन वह भी इसमें नहीं लिखा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो एक जाल है रिपोर्ट करने का इस जाल से तो हम और ही उलझ जाते हैं, सुलझ नहीं सकते हैं चाहे हम फूड डिबेट १० घंटे का कर लें और चाहे १२ घंटे का कर लें।

17.28 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO in the Chair]

सभापति महोदय, वास्तव में खाद्य मंत्रालय में पिछले सत्तर वर्षों में बड़े बड़े माहिर आये हैं और अभी भी विद्यमान हैं लेकिन तो भी आज तक वे महानुभाव इस देश की खाद्यान्न समस्या को सफलतापूर्वक हल नहीं कर पाये हैं। यहां पर तो वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। मर्ज बढ़ता ही जा रहा है हालांकि दवा करने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और यह मर्ज क्यों नहीं खत्म हो रहा है? वह इस कारण है कि मर्ज की जड़ को हम लोग नहीं पकड़ते हैं। हमारी जो ग्राम योजनाएँ होनी चाहिए और जो कि ग्रामों का आधार बननी चाहिए वह ग्राम योजनाएँ नहीं बनती हैं। गांव वालों को मालूम नहीं है कि हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं लेकिन सरदार साहब के आंकड़ों के अनुसार बढ़ गया है। गांव वालों के पास इस वक्त कोई तरीका नहीं है कि वे कभी बैठ कर इस बारे में सोचें। आज-कल होता यह है कि गांवों में इतना फर्टिलाइजर गया इतने कुएं खोद दिये गये, इतना बीज दिया